

फर्ट अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

राज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी गौलिमा जीवराज बनाम ईशाक, सुभार पि. मजीद कौम मुस-

किसम मुकद्दमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 निवासी आठाला मु. न. 42 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/02/18	<p>पटवारी हल्का गौलिमा जीवराज ने रिपोर्ट पेश कर मुचित विया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2014 में मांजा गौलिमा जीवराज के खसरा नं० 02 रकबा 0200 बीघा किसम भूमि मु. न. 42 पर नाजायज अतिक्रमण कर काष्ठ व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05/03/2018 को वमुकाम आठाला निवासी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">नायब तहसीलदार सिणधरी</p>	
05/3/18	<p>पत्रावली पेश हुई आठाला श्री पी. मजीद अधिकारी पंचायत उप युमव 2018 के जेनल मजिस्ट्रेट के पद पर वाइसे नियुक्ति होने के पत्रावली आईडा दिनांक 13/3/18 के पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">नायब तहसीलदार सिणधरी</p>	<p>ने वामनाथ पेश 05/3/18</p>

13/4/18

पत्रावली पेश हुई। और साफल अधिकता
 अनुपातिते। गीन कार आवाज लगाई गई।
 लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतिक्रम
 को 25/2/18 को नोटिफाई किया हुआ
 इसके पश्चात अनेक बार जवाब/साशु
 प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया
 लेकिन अतिक्रम अथवा उनके अधिकार
 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया
 इससे स्पष्ट है कि और साफल इस संदर्भ
 में कुछ भी करना नहीं चाहते एवं किली
 प्रकार का साशु (भाग संगठन) भी नहीं है।
 अतः और साफल को अतिक्रम घोषित
 किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा
 जाकर प्रस्तुत है। निर्णय सुले न्यायालय
 में सुनाया गया। पत्रावली फेसल सुमार
 होकर नंबर से कम है।

~~नाथ तल्लीलवार सिणवरी~~

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजीका सं. 4 के
 पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 7 पर निर्णय किया
 निलामी राशि. 150 + 1400 को मांग दान को 118
 1550
 15/137/18
 तहसील राजस्व
 तहसील सिणवरी